न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 13/2019
RCMS Case No. 2019/00041

सायल :— बनाम गैरसायलः—

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

आरीफ खान उर्फ बाबुखान पुत्र बरकत खां जाति पठान मुसलमान, निवासी 313 रेल्वे स्टेशन भटवाड़ा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :— 12/12/19

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 21.02.2019 को गैरसायल आरीफ खान उर्फ बाबुखान पुत्र बरकत खां जाति पठान मुसलमान, निवासी 313 रेल्वे स्टेशन भटवाड़ा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2006 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 6 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	197/26.09.06	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
2	71/29.03.07	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
3	92/17.04.07	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
4	109/02.05.10	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
5	100/22.04.17	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
6	245/27.12.17	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा
7	241/08.10.18	13 आर.पी.जी.ओ.	J M No. 2 Court Pali	सजा

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल आरीफ खान उर्फ बाबुखान पुत्र बरकत खां जाति पठान मुसलमान, निवासी 313 रेल्वे स्टेशन भटवाड़ा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली, जुऐं के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी लगातार अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं साथ गैरसायल के भय से पुलिस को

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के जुऐं के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 514/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2017 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 63/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.10 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल आरिफ खान उर्फ बाबुखान पुत्र बरकत खां, जाति पठान मुसलमान निवासी 313 रेल्वे स्टेशन भटवाडा, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा [illegible] के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली से निष्कासित कर पुलिस थाना गुड़ा एन्दला जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पश्चात अर्थात दिनांक 27.12.19 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना गुड़ा एन्दला जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी गुड़ा एन्दला जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल आरिफ खान इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली, गैरसायल आरिफ खान को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना गुड़ा एन्दला जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी गुड़ा एन्दला उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली एवं थानाधिकारी गुड़ा एन्दला पाली को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 12/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested